



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48587

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2744 वर्ष 2026

अशोक कुमार

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता	: हितेश कुमार श्रीवास्तव
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने का निवेदन किया गया, जिसमें याची द्वारा निम्नलिखित प्रार्थनाएं की गई थीं—(i) प्रतिषेध की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 3/जिला विकास अधिकारी, जनपद सिद्धार्थ नगर द्वारा पारित आक्षेपित वसूली आदेश दिनांक 05.12.2025 (वित्तीय वर्ष 2018-19) (परिशिष्ट संख्या 1) को निरस्त किया जाए; (ii) प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश पारित किया जाए; तथा (iii) याचिका की लागत याची के पक्ष में प्रदान की जाए; तथापि, अंतर्निहित तकनीकी त्रुटि के कारण नवीन याचिका प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने का निवेदन किया गया।
2. राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।
3. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ली हुई मानते हुए निरस्त की जाती है।

दिनांक : 10 मार्च, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।